कार्यालय नगर परिषद, औरंगाबाद

पत्रांक 1591 / दिनांक 17.11.2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद औरंगाबाद।

सेवा में,

वरीय लेखा अधिकारी,
श० स्था० नि०/ सामाजिक प्रक्षेत्र– 1,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
कार्यालय महालेखाकार (ले०प्र०)
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना– 01
विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

विषय :– नगर परिषद् औरंगाबाद के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०– 527 / 2014–15 के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय नगर परिषद् औरंगाबाद के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०– 527 /2014–15 के अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय सेवा में समर्पित किया जा रहा हैं।

कृप्या पावती स्वीकार किया जाये।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

विश्वासभाजन

17.11.18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद औरंगाबाद

कार्यालय नगर परिषद, औरंगाबाद

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०– 527 / 2014–15, वर्ष 2012–13 से 2013–14 का अनुपालन प्रतिवेदन

कंडिका सं०	लेखा परीक्षा आपत्ति का बिन्दु	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.
		भाग – I	
1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	कंडिका सूचनात्मक हैं और इसपर अनुपालन प्रतिवेदन अपेक्षित नहीं हैं। अतः इन कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
2.	लेखा वर्ष		
3.	अंकेक्षण की अवधि		
4.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य		
5.	कार्यालय प्रधान का नाम		
6.	कार्यालय प्रधान के साथ विचार विमर्श		
7.	आय–व्यय (रोकड़बही और पासबुक में अन्तर का समाधान)	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद के खता सं०– 4647 के पासबुक और रोकड़बही में पाए गए (सूद की प्रविष्टि) अन्तर का समाधान कराकर तत्समय अंकेक्षण दल को अवलोकन करा दिया गया था। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।	
8.	आय–व्यय (नाला निर्माण योजना)	रोकड़बही के अन्तः शेष और पासबुक के बीच अन्तर का समाधान कराकर तत्समय अंकेक्षण दल को अवलोकन करा दिया गया था। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।	
9.	आय–व्यय (SJSRY)	अन्तर का समाधान रोकड़बही में अंकित कर लेखा परीक्षा दल को तत्समय अवलोकन करा दिया गया था। (अनुलग्नक– 1) अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।	
10.	आय–व्यय (13th FC)	लेखा परीक्षा दल को तत्समय अवलोकन करा दिया गया था। (अनुलग्नक– 2) अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।	
11.	आय–व्यय (राज्य योजना निधि)	PNB A/C No. 0502000100364241 को बंद कर सम्पूर्ण राशि P.L. A/C में जमा करा दिया गया हैं। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।	

12.	आय–व्यय (नागरिक सुविधा)	अन्तर राशि मो०– 38952.00 रु० सूद की राशि थी, जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में कराकर तत्समय अंकेक्षण दल को अवलोकन करा दिया गया था। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
		भाग – II (ख)	
1.	मो०– 4.09 लाख श्रम उपकर की राशि जमा नहीं	वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक श्रम उपकर के रूप में काटी गयी कुल राशि मो०– 14,99,288.00 रु० चेक सं० A 730455 दिनांक– 19.03.2015 द्वारा श्रम अधीक्षक के माध्यम से (अनुलग्नक– 3) जमा करा दिया गया है। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।	
2(i).	विविध रसीद एवं होल्डिंग रसीद की रु०– 9619.00 कम जमा	विविध रसीद एवं होल्डिंग रसीद की संग्रहित राशि में से मो०– 9619.00 कम जमा को चालान सं०– 10 दिनांक– 28.05.2014 (अनुलग्नक– 4) द्वारा नगर परिषद निधि में जमा करा दिया गया हैं। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।	
2(ii).	राशि का लेखापाल रोकड़बही में नही व कम पाया जाना	सम्पूर्ण राशि नगर परिषद् निधि में जमा कर दिया गया है (अनुलग्नक – 5(A), 5(B), 5(C) और 5(D) द्रष्टव्य)। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
3(i).	दुकान किराया की वसूली नहीं	दुकान किराया के बकाया राशि में अधिकांश राशि वसूल कर ली गयी है। किराया बकाया और वसूली निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया हैं। किराये के बकाये राशि की वसूली हेतु नियमित समीक्षा के साथ वसूली हेतु निरंतर कार्रवाई की जाती हैं। अतः इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
3(ii).	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं	शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर जमा करने हेतु प्राप्ति शीर्ष की जानकारी प्राप्त की जा रही हैं। जानकारी प्राप्त होते ही संग्रहित राशि जमा कर दिया जाएगा। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
4.	संचार (मोबाईल) टावरों पर बकाया 6.60 लाख वसूली नहीं	बकाया व वसूली निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। बकाया वसूली की कार्रवाई की जा रही हैं। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
5.	बंदोबस्ती में बकाया राशि मो०– 30,725.00 की वसूली नहीं	बंदोबस्त सैरात पर तत्समय सड़क बन जाने के कारण सैरात समाप्त हो गया था। फलतः बन्दोबस्तदार द्वारा शेष 50% राशि मो०– 30,725.00 रु० जमा नही किया गया था। बकाया वसूली हेतु कार्रवाई (अनुलग्नक– 6 पर) द्रष्टव्य अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
6.	बंदोबस्त राशि का 3% मुद्रांक शुल्क नहीं लिया गया	बंदोबस्त राशि का @3% मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प) की राशि जमा कराने हेतु कार्रवाई (अनुलग्नक – 6 एवं 7 पर) की जा रही हैं। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	

7.	दैनिक मजदूरी / अतिरिक्त मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय रु०– 5.96 लाख	नगर परिषद् में दो ट्रैक्टर / टैंकर / बॉबकैट / सक्शन मशीन / JCB / फौगिंग मशीन है, जिसे चलाने हेतु कोई पद स्वीकृत नहीं हैं। इस कारण जनहित एवं कार्यहित में स्थानीय स्तर से मस्टर रॉल पर श्रमिकों को रख कर तथा मुख्य पार्षद से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य कराया गया था तथा भुगतान किया गया था। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाये।	

TAN

1.	होल्डिंग कर हेतु माँग तथा वसूली पंजी का संधारण नहीं	तत्समय स्टेच्युटरी फार्म में तहसीलदार की माँग तथा संग्रह पंजी एवं दैनिक संग्रहपंजी का अवलोकन अंकेक्षण दल को करा दिया गया था (अनुलग्नक– 7)। वर्तमान में ऑनलाइन स्वकर निर्धारण एवं वसूली की व्यवस्था चल रही हैं। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
2.	लेखा का संधारण नहीं (वित्तीय आय–व्यय विवरण एवं आस्तियों और दायित्वों से सम्बंधित तुलना पत्र)	तकनिकी / लेखा विशेषज्ञ के अभाव में वित्तीय आय – व्यय विवरणी एवं आस्तियों और दायित्वों से सम्बंधित तुलना पत्र तैयार नहीं कराया जा सका हैं। आलोच्य अवधि का डबल इंट्री सिस्टम के तहत कार्रवाई की गयी हैं। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
3.	सामान्य अभियुक्ति	कंडिका सूचनात्मक हैं। यथासंभव कार्रवाई की जा रही हैं। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	

17.11.18
लेखापाल
नगर परिषद औरंगाबाद

17.11.18
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् औरंगाबाद